न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 24/2018 जिला अलवर

1. प्रेम कंवर पत्नि शिव कुमार सिंह जाति राजपूत निवासी बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर। —अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह असल नाम विरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र शिव कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत बुटेरी पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर राज0 जरिये सरपंच। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर अलवर बाबत् नामान्तरकरण संख्या 662/2 दिनांक 20.07.2017 ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर।

उपस्थित—
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता वकील अपीलान्ट
2. श्री ब्रहमप्रकाश यादव रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —01.09.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नरेन्द्र सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत बुटेरी पंचायत समिति बानसूर के द्वारा विवादित आराजीयात खाता संख्या 178 खसरा नं. 385 रकबा 0.02 है0, 386 रकबा 1.84 है0, 389 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 662 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 20.07.2017 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2017 को विधि विरूद्ध मानते हुये खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रेम कंवर पत्नि शिव कुमार सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट के पॉच लडके व चार लडकियॉ थी। अपीलांट के पति व नरेन्द्र सिह के पिता श्री शिवकुमार सिंह ने आराजी खसरा नं. 289 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर में स्थित भूमि को राजूसिंह नाम के व्यक्ति से क्रय कर बैयनामा के आधार पर अपने बडे पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह के नाम

Scanned by CamScanner

से दिनांक 13.06.1989 को रजिस्टर्ड करा दी। नरेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 13.04.1991 को हो गई उसके पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण संख्या 662/2 नरेन्द्र सिंह के अविवाहित होने के कारण अपीलांट प्रेम कंवर पत्नि शिव कुमार सिंह के हक में ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा विरेन्द्र सिंह व अशोक सिंह के प्रार्थना पत्र एवं अन्य पुत्र, पुत्रियों के शपथ पत्र लेकर एवं सम्पूर्ण जॉच पश्चात् दिनांक 20.07.2017 को विधिवत रूप से दर्ज कर स्वीकार किया। विरेन्द्र सिंह व नरेन्द्र सिंह अलग-अलग व्यक्ति हैं एवं उनकी जन्मतिथि भी अलग है जो कि माध्यमिक बोर्ड की अंकतालिका से बखूबी साबित है। विरेन्द्र सिंह ने अपने आप को नरेन्द्र सिंह बताकर खसरा नं. 289 में से लगभग 04 बीघा जमीन का बेचान भी कर दिया है एवं सम्पूर्ण 14 बीघा भूमि को हडपने के उद्देश्य से अपने आप को नरेन्द्र सिंह बताकर छल किया है जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बानसूर में दाखिल की गई जो कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 662 का निर्णय पारित किया है जबकि विवादित नामान्तरकरण 662/2 है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्ण रूप से जॉच किये बिना, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 662/2 दिनांक 20.07.2017 को बहाल रखा जावे। दिनांक 29.08.2022 को ऑर्डर 41 नियम 27 एवं सेक्शन 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेज पेश किए गए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 2001 पैरा 89, आर.आर.सी. 1999 पैरा 57 भी पेश किए गये।

रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 178 खसरा नं. 385 रकबा 0.02 है0, 386 रकबा 1.84 है0, 389 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त खातेदारी की है जो कि अपने पिता श्री शिव कुमार सिंह का कानूनी रूप से वारिस है। अपीलार्थी द्वारा नरेन्द्र सिंह की मृत्यु होना बताया गया है जबकि इस बाबत् अपीलांट द्वारा नरेन्द्र सिंह का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा एक अन्य दावा कैम्प बुटेरी में पक्षकारों के मध्य राजीनामा कराकर नरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षरों से दिनांक 30.06.2015 को निस्तारित कर दिया इससे साबित होता है कि नरेन्द्र सिंह जीवित है। ग्राम पंचायत बुटेरी के उपसरपंच की अध्यक्षता में कभी कोई मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया ना ही दिनांक 20.07.2017 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो कि ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जवाब से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा सभी तथ्यों की विधिवत रूप से जॉच एवं ग्राम पंचायत बुटेरी के जवाब के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 662 को विधि विरूद्ध मानते हुये निरस्त कर सही जॉच के आधार पर इंतकाल पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.06.2018 द्वारा ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा इंतकाल संख्या 662 दिनांक 20.07.2017 को खोले गये नामान्तरकरण को रद्द करते हुए रिमाण्ड किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरकरण किया गया है वह उपसरपंच के हस्ताक्षर से किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की कोई बैठक बुलाई गई हो और सरपंच के अनुपस्थिति के कारण उपसरपंच द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। बल्कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं सरपंच ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 662

तिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 20.07.2017 को गलत बताया है। हमारा विनम्र मत है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर ही नामान्तरकरण का फैसला सभी तथ्यों को देखे जाने के उपरान्त किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा जाहिर नहीं होता। कथित नरेन्द्र सिंह का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है जो उचित प्रतीत होता है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner